# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 11/2020
निर्णय दिनांकः– 08 .01.2021

उनवान

छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद उर्फ हुसैन खां जाति मुसलमान निवासी गोपाली तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

**बनाम**

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) –

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

**निर्णय**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 18 ख0न0 102 रकबा 0.18, ख0न0 109 रकबा 0.30, ख0न0 55 रकबा 0.14, ख0न0 57 रकबा 0.43, ख0न0 98 रकबा 0.07, ख0न0 99 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम गोपाली तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का नाम छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद उर्फ हुसैन खां है, जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड , फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से छुट्टन मोहम्मद पुत्र हुसैन मोहम्मद दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 18 ख0न0 102 रकबा 0.18, ख0न0 109 रकबा 0.30, ख0न0 55 रकबा 0.14, ख0न0 57 रकबा 0.43, ख0न0 98 रकबा 0.07, ख0न0 99 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम गोपाली तहसील उनियारा. मे जिला टोंक में प्रार्थी का नाम छुट्टन मोहम्मद पुत्र हुसैन मोहम्मद के स्थान पर छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद उर्फ हुसैन खां अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के आधार कार्ड , राशन कार्ड व फोटो पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद दर्ज है। ग्राम आली की जमाबन्दी खाता संख्या 14 मे भी प्रार्थी का नाम छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद दर्ज होने से ग्राम गोपाली के राजस्व रिकार्ड मे भी प्रार्थी छुट्टन के स्थान पर छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद उर्फ हुसैन खां अंकित किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 वाके ग्राम गोपाली खाता संख्या 18 आराजी ख0न0 102, 109, 55, 57, 98, 99 कुल किता 6 कुल रकबा 1.41 है0 मे छुट्टन पुत्र हुसैन मोहम्मद अंकित है। प्रार्थी के आधार कार्ड , राशन कार्ड व फोटो पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद दर्ज है। ग्राम आली की जमाबन्दी खाता संख्या 14 मे भी प्रार्थी का नाम छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद दर्ज है। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे ग्राम गोपाली के राजस्व रिकार्ड मे भी प्रार्थी छुट्टन के स्थान पर छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद उर्फ हुसैन खां अंकित किया जाना उचित बताया है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 18 आराजी ख0न0 102, 109, 55, 57, 98, 99 कुल किता 6 कुल रकबा 1.41 है0 वाके ग्राम गोपाली तहसील उनियारा मे छुट्टन पुत्र हुसैन मोहम्मद के स्थान पर छोटे खां पुत्र हुसैन मोहम्मद उर्फ हुसैन खां दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी उनियारा